14 JAN 2011. राष्ट्रीय हिन्दी मेल, भोपाल

पौने चार हजार कन्याओं की धूमधाम से शादी

गृहस्थी बसाने के लिये दी गयी दो करोड़ से अधिक की सामग्री

धीरज दुबे

इंदौर, 13 जनवरी। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों में पौने चार हजार से अधिक निर्धन कन्याओं की शादी सरकारी खर्च पर धूमधाम से करायी गयी। इन कन्याओं को गृहस्थी बसाने के लिये दो करोड़ रूपये से अधिक की सामग्री दी गयी।

सामाजिक न्याय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना वर्ष 2006-07 से शुरू की गयी। इस योजना के तहत अब तक 3 हजार 755 कन्याओं की शादी करायी जा चुकी है। इनमें अनुसूचित जाति की एक हजार 45, अनुसूचित जनजाति की 603, पिछड़ावर्ग की एक हजार 169 तथा सामान्य वर्ग की 937 कन्यायें शामिल है। वर्ष 2006-07 में 874, 2007-08 में 569, 2008-09 में एक हजार 457, 2009-10 में 710 तथा 2010-11 में 155 निर्धन कन्याओं की शादी करायी गयी।

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब नवदम्पत्तियों को 9 हजार रूपये की सामग्री गृहस्थी बसाने के लिये दी जायेगी। पूर्व में साढ़े सात हजार रूपये की सामग्री गृहस्थी बसाने के लिये दी जाती थी। जिला प्रशासन ने इस वर्ष इस योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिये हैं।सामूहिक विवाह का आयोजन मध्यप्रदेश फर्म्स एण्ड सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थाओं अथवा स्थानीय निकायों जिला, जनपद पंचायत, नगर पंचायतें तथा नगर निगम के माध्यम से कराये जायेंगे। समाज विशेष के नाम अथवा समाज विशेष का आयोजन नहीं कराया जायेगा। प्रायोजक संस्था को सामूहिक विवाहों में सम्मिलित होने वाली कन्याओं, विधवा एवं परित्यक्ताओं को गृहस्थी बसाने की सामग्री के लिये प्रति कन्या 9 हजार रूपये तथा आयोजन के लिये प्रति कन्या एक हजार रूपये कुल दस हजार रूपये प्रदान किये जायेंगे। प्रायोजक संस्था आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायतें, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतें अपने-अपने स्तर से भण्डार क्रय नियम के तहत सामग्री खरीदेंगी। क्रय की जाने वाली सामग्री में प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, गैस कनेक्शन को भी प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन फार्मों की जाँच के लिये शहरी क्षेत्र इंदौर में कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायतें तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रकरणों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतें जाँच एजेंसी रहेंगी। जिले से अन्यत्र प्राप्त होने वाले आवेदनों को निर्धारित समयावधि में सीधे उस जिले के जिलाधीश कार्यालय को भेजकर जाँच करवाई जायेगी।